पत्रॉक 4041 / मु0वि0अ0 / मध्यान्ह भोजन / 2009

प्रेषक,

आयुक्त,
खाद्य एवं रसद विभाग,
उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन,
लखनऊ।

सेवा में,

1— **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

2— **समस्त संभागीय खाद्य नियंत्रक,**
उत्तर प्रदेश।

3— **समस्त उपायुक्त(खाद्य),**
उत्तर प्रदेश।

4— **समस्त जिला पूर्ति अधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

5— **समस्त जिला खाद्य विपणन अधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनॉक : 08 जून, 2010

विषयः—**मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत निर्गत खाद्यान्न की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या—1407 / मु0वि0अ0 / मध्यान्ह भोजन / 2006, दिनॉक 31 मार्च, 2006 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इसके द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत निर्गत खाद्यान्न की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए हैं। उक्त आदेश के कम में निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं :—

ब्लाक वितरण गोदाम से मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न की निकासी के समय निर्गत होने वाले खाद्यान्न के नमूनों का दो सीलबन्द सैम्पुल राशन दुकानदार को प्राप्त कराए जाएंगे, जिसमें से एक नमूना राशन की दुकान पर सुरक्षित रखा जाएगा तथा दुसरा सैम्पुल संबंधित विद्यालय को राशन दुकानदार द्वारा हस्तगत कर दिया जाएगा, जिससे यह सत्यापन किया जा सके कि विद्यालय को उपलब्ध कराए जाने वाला खाद्यान्न वही है जो ब्लाक वितरण गोदाम से निर्गत किया गया है। यदि राशन दुकानदार से एक से अधिक विद्यालय सम्बद्ध हैं तो विद्यालयों की संख्या के गुणांक के अनुसार खाद्यान्न का सीलबन्द नमूना राशन दुकानदारों को दिया जाएगा।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से पालन करें।

भवदीय,

(राजीव अग्रवाल)
आयुक्त।

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— प्रमुख सचिव, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3— समस्त संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(राजीव अग्रवाल)
आयुक्त।